न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति डॉ साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
567/2021	2021/380	01.10.2021	24.12.2025

उनवान प्रकरण

बद्री पुत्र कालू, जाति माली, निवासी जवाहर नवोदय स्कूल के पास, पावटा जिला–जयपुर, हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान वादी

बनाम

1 अमरी पुत्री सुरजा
2 गीता पुत्री सुरजा
3 हीरो देवी पुत्री सुरजा
4. महेन्द्र पुत्र सुरजा
समस्त जातियान माली, निवासी ढाणी जीवाकी, तहसील बानसूर, जिला अलवर, हाल निवासी जवाहर नवोदय स्कूल के पास, पावटा जिला–जयपुर, राजस्थान
5 पूनम देवी पत्नि कैलाश
6 पूरणमल पुत्र जौहरीलाल
समस्त जातियान अहीर, निवासी ढाणी रामसागर, तन खेलना, तहसील पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान
7 सरबो पत्नि ग्यारसीलाल उर्फ कालूराम
8 सुरेश पुत्र जगदीशप्रसाद
समस्त जातियान अहीर, निवासी पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान
9 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला–जयपुर
10 श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्र्तगत धारा 53 व 188 आरटीएक्ट

1. वादीगण की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सैनी व रामकिशन शर्मा के द्वारा पेश वादपत्र निम्नानुसार है कि आराजी खसरा नम्बर 2086/0.34 बन्दोबस्त हाल वाके मौजा पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जमाबन्दी संलग्न वाद–पत्र है। वादी उक्त आराजी के हिस्सा 489581/707880 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है तथा शेष हिस्से के प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार काबिज है तथा अपने–अपने हिस्सानुसार आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

2. उपरोक्त आराजी मुतदाविया मुतजिकरा जिम्मन नम्बर 1 का पूर्व में हिस्सा 3/4 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादी था तथा 1/4 भाग का खातेदार सुरजा पुत्र चोखा माली था, सुरजा पुत्र चोखा फौत हो गया है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 है तथा वादी ने अपने 3/4 हिस्से में से 2 ऐयर भूमि सरबो प्रतिवादीया को बेचान कर दी थी तथा प्रतिवादी पूनम, पूरणमल व सुरेशचन्द को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी भूमि में से जमीन बेचान की थी। वादी के हिस्सा 489581/707880 के मुताबिक वादी के हिस्से में 23.5 ऐयर भूमि आती है तथा वादी अपनी उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा उक्त खसरा नम्बर के बतरफ दक्षिणी–पूर्वी हिस्से पर मकानात बना रखे है, परिवार सहित निवास करता है तथा पशु वगैरह बांधता है, परिवार व पशुओ की पानी की आवश्यकता हेतु मैदानी बोर कर सिंगल फेस की मोटर लगाई हुई है तथा आराजी के बतरफ उत्तर के हिस्से पर मकानो के पीछे की भूमि पर काश्त करता है मौके पर वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर बाजरे की फसल काश्त कर रखी है तथा वादी अपने मकान व कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है जिससे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई लेना देना ताल्लुक वास्ता नही है ।

3. उक्त आराजी का अभी तक विधिवत रूप से तकास्मा नही हुआ है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 बाजौर एंव झगड़ालू किस्म के इंसान है तथा डोल–डंडीर, लगान आदि को लेकर आये दिन बादी से तनाजा रखते है। ऐसी सूरत में वादी का प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के साथ शामिल में काश्त किया जाना संभव नही है और वादी मौके पर काबिज अनुसार व रिकार्ड के मुताबिक अपना खाता जुदागाना करवाने का मुस्तहक है ।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

4. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 बाजौर एंव झगड़ालू किस्म के इंसान है तथा ताकत के बल पर वादी के हिस्से की आराजी के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करते है तथा वादी को बेदखल करने की धमकी देते है तथा ऐलानियां कहते है कि तुझे कहीं पर भी जमीन काश्त नही करने देगे, आराजी को दीगर ताकतवर एंव बाजौर लोगों को बेचान करने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। यदि प्रतिवादीगण बिना बंटवारा कराये आराजी को बेचान करने में कामयाब हो गये तो अजनबी केताओ से कब्जे आदि को लेकर तनाजा होगा, आपस में खून खच्चर होगे । जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार हांसिल नही है। प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया गया और वो यदि आराजी को बिना विधिवत बंटवारा कराये बेचान करने, वादी को आराजी से बेदखल करने, कब्जा काश्त में मजाहमत करने में कामयाब हो गये तो वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जो किसी भी सूरत में जरें नकद से कम्पनसैट नही किया जा सकेगा, अनावश्यक मुकदमेंबाजी को बढावा मिलेगा जिससे वाद बहुलता होगी। हर चन्द प्रतिवादीगण से कहा गया कि वो राज में चलकर आराजी का मौका व रिकार्ड के अनुसार विधिवत तकास्मा करा लेवे तथा अपना–अपना हिस्सा का खाता जुदागाना करा लेवे बिना तकास्मा कराये आराजी को दीगर, ताकतवर एंव बाजौर लोगों को बेचान ना करें । आराजी को खुर्द–बुर्द ना करें। आराजी में खडडे वगैरह ना करें, वादी के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत या दखलन्दाजी पैदा ना करें । मगर प्रतिवादीगण नही मानते है, कल के रोज से साफ इन्कारी है । इसलिए माननीय न्यायालय में दावा पेश करना लाजिम आया। यही बिनाय दावा है ।

5 बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत रोज इन्कारी प्रतिवादीगण से पैदा होती है अतः दावा अन्दर मियाद पेश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के तहत नियत न्यायशुल्क पर दावा पेश है। रिहायश फरीकेन एंव वाका जायदाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को दावा सुनने व तैय करने का अधिकार है ।

6. वादी दावेदार है कि एक किता डिकी तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी वर खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2086/0.34 बन्दोबस्त हाल वाके मौजा पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान का वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के मध्य मौके पर काबिज अनुसार व रिकार्ड के अनुसार विधिवत तकास्मा किया जाकर वादी को आराजी के हिस्सा 489581/707880 बतरफ दक्षिणी–पूर्व जहां वादी के मकान बने हुये है व मकानो के पीछे बतरफ उत्तर की भूमि का तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी कदर कागजात माल में अमल दरामद किया जावे, अलग से पासबुक जारी की जावे । लगान निर्धारित किया जावे । तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2086/0.34 बन्दोबस्त हाल वाके मौजा पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान के वादी के हिस्से की आराजी के कब्जा काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 किसी प्रकार की दखलन्दाजी या मजाहमत पैदा ना करें, वादी को आराजी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग करने देवे। सदा–सदा के लिए ममनू व बाज रहें। या जो दादरसी न्यायहित में हो सादिर फरमाई जावे।

7. दावा काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 05, 06, 08 मय अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहा इस कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 27.09.2022 वकील उभयपक्ष की बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार पावटा को बंटवारा रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 13.12.2022 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी वकील दिनांक 04.04.2023 को कुर्रेजात रिपोर्ट पर उज्रात प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 21.03.2024 वकील उभयपक्षों की बहस उपरान्त सहमति से उज्रात प्रार्थना पत्र स्वीकार पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू तहसीलदार पावटा को लिखा गया। दिनांक 23.12.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीदलार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतू निवदेन किया। जिसके प्रत्युत्तर में प्रतिवादी वकील ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अनापत्ति जाहिर करते हुये वाद को तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार फाईनल डिक्री करने हेतू निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

6 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा न0 2086/0.34 हैक्टेयर वाके मौजा पावटा, तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न./रकबा
1	बद्री पुत्र कालू हिस्सा पूर्ण जाति माली सा.देह खातेदार	2086/1 रकबा 0.2351 हैक्ट0 भूमि।
2	पूनम देवी पत्नी कैलाशचन्द हि. 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. ढाणी रामसागर तन खेलना खातेदार पूरणमल पुत्र जौहरीलाल हि. 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. ढाणी रामसागर तन खेलना खातेदार सुरेशचन्द पुत्र जगदीशप्रसाद हि. 1/3 जाति अहीर सा.देह खातेदार	2086/2 रकबा 0.0720 हैक्ट0 भूमि।
3	अमरी पुत्री सुरजा हि. 284/987 जाति माली गीता देवी पुत्री सुरजा हि. 284/987 जाति माली महेन्द्र पुत्र सुरजा हि. 11/329 जाति माली सरबो पत्नी ग्यारसीलाल उर्फ कालूराम हि. 34/329 जाति माली सा.ढाणी जीवा की तह बानसूर हाल आबाद पावटा खातेदार हीरो देवी पुत्री सुरजा हि. 284/987 जाति माली	2086/3 रकबा 0.0329 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
567/2021	2021/380	01.10.2021	24.12.2025

उनवान प्रकरण

ब्रदी पुत्र कालू, जाति माली, निवासी जवाहर नवोदय स्कूल के पास, पावटा जिला–जयपुर, हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान वादी

बनाम

1 अमरी पुत्री सुरजा
2 गीता पुत्री सुरजा
3 हीरो देवी पुत्री सुरजा
4. महेन्द्र पुत्र सुरजा
समस्त जातियान माली, निवासी ढाणी जीवाकी, तहसील बानसूर, जिला अलवर, हाल निवासी जवाहर नवोदय स्कूल के पास, पावटा जिला–जयपुर, राजस्थान
5 पूनम देवी पत्नि कैलाश
6 पूरणमल पुत्र जौहरीलाल
समस्त जातियान अहीर, निवासी ढाणी रामसागर, तन खेलना, तहसील पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान
7 सरबो पत्नि ग्यारसीलाल उर्फ कालूराम
8 सुरेश पुत्र जगदीशप्रसाद
समस्त जातियान अहीर, निवासी पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान
9 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला–जयपुर
10 श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा अर्न्तगत धारा 53 व 188 आरटीएक्ट

6 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा न0 2086/0.34 हैक्टेयर वाके मौजा पावटा, तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	ख.न./रकबा
1	बद्री पुत्र कालू हिस्सा पूर्ण जाति माली सा.देह खातेदार	2086/1 रकबा 0.2351 हैक्ट0 भूमि।
2	पूनम देवी पत्नी कैलाशचन्द हि. 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. ढाणी रामसागर तन खेलना खातेदार पूरणमल पुत्र जौहरीलाल हि. 1/3 जाति अहीर (यादव) सा. ढाणी रामसागर तन खेलना खातेदार सुरेशचन्द पुत्र जगदीशप्रसाद हि. 1/3 जाति अहीर सा.देह खातेदार	2086/2 रकबा 0.0720 हैक्ट0 भूमि।
3	अमरी पुत्री सुरजा हि. 284/987 जाति माली गीता देवी पुत्री सुरजा हि. 284/987 जाति माली महेन्द्र पुत्र सुरजा हि. 11/329 जाति माली सरबो पत्नी ग्यारसीलाल उर्फ कालूराम हि. 34/329 जाति माली सा.ढाणी जीवा की तह बानसूर हाल आबाद पावटा खातेदार हीरो देवी पुत्री सुरजा हि. 284/987 जाति माली	2086/3 रकबा 0.0329 हैक्ट0 भूमि।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड		जोड	